पंजाब राज्य

बनाम

डा. पी. एल. सिंगला

(सिविल अपील नंबर 4969/2008)

जुलाई 31, 2008

(और. वी. रविन्द्रन व लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायाधीश)

न्यायालय का आदेश और.वी. रविन्द्रन, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया

1. छूट दी गयी। पक्षकारों को सुना गया।

2. जवाबदेहिता अपीलार्थी पंजाब राज्य की सेवा में चिकित्सक है। 01-08-1991को जवाबदेहिता का स्थानान्तरण मकंदम में किया गया। जवाबदेहिता ने वहां दिनांक 17-08-1991को कार्यभार ग्रहण किया। लेकिन 01-06-1992 से अप्राधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहा। जब वह लगभग 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहा, तब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 28-05-1997 को जवाबदेहिता के विरूद्ध एक आरोप पत्र जारी किया। जिसमें दो आरोप थे। (A) दिनांक 01-06-1992 से जानबूझकर कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना। (B) उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करना। इन आरोपों के लिये एक जांच भी की गयी एवं जांच

अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। प्रथम आरोप के संदर्भ में जांच अधिकारी ने पाया कि जवाबदेहिता वास्तव में दिनांक 01-06-1992 से 17-10-1997 तक अप्राधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहा। लेकिन जांच अधिकारी ने जवाबदेहिता द्वारा दिये गये दो स्पष्टीकरण को स्वीकार किया एवं निष्कर्ष दिया कि जवाबदेहिता की अनुपस्थिति बाध्यकारी कारणों से थी। प्रथम स्पष्टीकरण यह दिया गया कि उन दिनों पंजाब में आतंकवाद था। दूसरा यह था कि जवाबदेहिता ने 01-06-1992 से 30-12-1992 तक अवकाश के लिये प्रार्थना-पत्र डाक के जरिये भेजा था एवं उसे प्रार्थना-पत्र के अस्वीकार होने की जानकारी नहीं हुई एवं उसने यह माना कि उसे अवकाश की स्वीकृति मिल गयी है। जांच अधिकारी ने यह माना कि दूसरा आरोप साबित नहीं हुआ।

3. अनुशासन प्राधिकरण जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं हुआ, जिसके कारण विसम्मत नोट में अंकित किये गये। उक्त नोट में यह कथन किया गया कि 01-06-1992 से 17-10-1997 तक अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना स्पष्टतया अनुशासनहीनता थी। आरोप पत्र जारी करने के बाद ही जवाबदेहिता ने सेवा में पुनः जुड़ने के लिये प्रस्ताव दिया एवं वास्तव में 18-10-1997 को सेवा से जुड़ा एवं उससे पहले नहीं। विसम्मत नोट ने इस प्रकार जवाबदेहिता को दोनों ही आरोपों का दोषी माना। दिनांक 01-04-1999 को जवाबदेहिता को एक कारण बताओ नोटिस की प्रति जांच रिपोर्ट की कापी व विसम्मत नोट के साथ दी गयी। जवाबदेहिता ने 10-05-1999

को अपना जवाब भेजा। पंजाब राज्य के राज्यपाल ने अपने आदेश दिनांक 16-09-1999(11-10-1999 को सूचित किया) के तहत जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया। विसम्मत नाेट में लिखित कारणों से, राज्यपाल ने जवाबदेहिता को दोषी पाया एवं पांच वेतन वृद्धियों को संचयी रूप से रोके जाने का दण्ड दिया।

4. दण्ड अधिरोपित करने के आदेश की निरंतरता में, एक पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 25-01-2001 के तहत पंजाब के राज्यपाल ने 01-06-1992 से 17-10-1997 तक की अवधि का जवाबदेहिता को असाधारण अवकाश परिदत्त किया। पंजाब सिविल सेवा नियम के तहत उक्त आदेश के दो नतीजे निकले। एक राज्यकर्मी असाधारण अवकाश के दौरान किसी भी प्रकार के वेतन का हकदार नहीं होगा एवं दूसरा असाधारण अवकाश की अवधि की गणना पेंशन योग्य सेवा में नहीं की जायेगी।

5. जवाबदेहिता ने दिनांक 24-01-2002 काे सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भटिण्डा के न्यायालय में दिनांक 10-09-1999/11-10-1999 के दण्ड अधिरोपित वाले आदेश को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने एवं उसके फलस्वरूप अनुतोष प्राप्त करने के लिये एक घोषणा का वाद पेश किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14-09-2004 के तहत वाद को डिक्री किया एवं घोषणा की कि दण्ड अधिरोपित करने वाला आदेश शून्य था एवं यह माना कि जवाबदेहिता समस्त फलस्वरूप परिणामों को

वाद पेश करने से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्राप्त करने का हकदार है। राज्य द्वारा की गयी अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 16-03-2005 को खारिज किया गया। राज्य द्वारा की गयी द्वितीय अपील को 20-01-2006 को खारिज किया गया। उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 20-01-2006 जिसमें विचारण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गयी थी, उक्त आदेश को इस विशेष इजाजत के तहत चुनौती दी गयी है।

6. जवाबदेहिता द्वारा दिनांक 01-06-1992 से 17-10-1997 तक अप्राधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहने को न ही तो जवाबदेहिता ने नकारा एवं न ही विवादित किया। प्रश्न यह था कि क्या उसके अनुपस्थित रहने के संतोषप्रद कारण थे एवं वह अवकाश प्राप्त करने में असफल हुआ। स्पष्टीकरण यह था कि वह पदीय कर्त्तव्य से इसलिए नहीं जुड़ा क्याकि वह समय राज्य में आतंकवाद का था। दूसरा स्पष्टीकरण यह था कि उसने सात महीनों के अवकाश प्रार्थना पत्र जो 01-06-1992 से 30-12-1992 तक था, को डाक के जरिये भेजा था और उसे प्रार्थना पत्र के खारिज होने का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो उसने समझा कि अवकाश स्वीकृत हो गया है। दोनों ही स्पष्टीकरण अनिश्चित एवं असंतोषप्रद थे। पांच वर्ष से अधिक समय तक अप्राधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहना अस्पष्ट है। यहां तक कि 01-06-1992 से 30-12-1992 तक की अवधि जिसके लिये जवाबदेहिता का दावा है कि उसने अवकाश प्रार्थना-पत्र भेजा था, ऐसा कुछ भी नहीं था

जिससे यह दर्शित हो कि ऐसा अवकाश प्रार्थना-पत्र भेजा गया या विभाग के द्वारा प्राप्त किया गया। ऐसे किसी प्रार्थना-पत्र को भेजे जाने का प्रमाण पेश नहीं किया गया। अवकाश का परिदत्त होना ऐसा नहीं है जो मान लिया जाये या उसके बारे में राय बना ली जाये। इन सब में, यहां तक कि जवाबदेहिता के द्वारा भी दिनांक 31-12-1992 से 17-10-1997 तक की अवधि का कोई अवकाश प्रार्थना-पत्र नहीं था। जवाबदेहिता अप्राधिकृत तरीके से पांच वर्ष से अधिक अवधि तक अनुपस्थित क्यों रहा, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। फलतः अप्राधिकृत तरीके से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने का आरोप स्पष्टतया साबित होता है। जांच अधिकारी के बेमन से पाया गया निष्कर्ष कि अनुपस्थित रहने के लिये बाध्यकारी परिस्थितियां थी, वह बिल्कुल बिना किसी आधार के था। अनुपस्थित रहने के आरोप के संदर्भ में विसम्मत नोट इस प्रकार न्यायोचित था। जो दण्ड अधिरोपित किया गया था, वह अनुचित आचरण के अनुपातहीन नहीं था।

7. नीचे के न्यायालयों ने जवाबदेहिता का वाद इसलिए डिक्री नहीं किया कि उन्होंने कोई विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया हो बल्कि ऐसे कारण से किया जो अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं दण्ड अधिरोपित होने से बिल्कुल विपरीत था। तीन न्यायालयों ने यह माना कि राज्यपाल के पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 25-01-2001 जिसमें असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था, ने कदाचित आचरण को खत्म कर दिया था। वे इस आधार पर आगे बढ़े कि जब नियुक्तकर्ता ने अनुपस्थित रहने की अवधि में

असाधारण अवकाश स्वीकृत कर दिया और उसके लिये दण्ड भी दे दिया गया था इसका मतलब यह हुआ कि नियुक्तिकर्त्ता ने अप्राधिकृत अनुपस्थिति को माफ कर दिया है। नीचे के न्यायालयों ने इस प्रकार यह माना कि दिनांक 01-06-1992 से 17-10-1997 के बीच की अप्राधिकृत अनुपस्थिति अब एवं अप्राधिकृत अनुपस्थिति नहीं मानी जा सकती एवं जब अनुचित आचरण को मिटा दिया गया तो दण्ड भी मिट गया। उक्त निष्कर्ष की उपयुक्तता इस विचारण में हमारे लिये उठती है।

8. अप्राधिकृत अनुपस्थिति (अवकाश से अधिक अवकाश) एक अनुशासनहीन कृत्य है। जब भी कोई कर्मी अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तब नियुक्तिकर्त्ता के पास दो रास्ते होते हैं। पहला यह कि वह अप्राधिकृत अनुपस्थिति के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए क्षमा कर दे एवं अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में अवकाश स्वीकृत कर दे, एेसी स्थिति में दुराचार क्षम्य माना जायेगा। दूसरा यह कि अप्राधिकृत अनुपस्थिति को दुराचार समझे एवं जांच करे एवं दुराचार के लिये दण्ड अधिरोपित करे।

9. एक कर्मी जो अप्राधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहता है, पदीय कर्त्तव्यों में वापस जुड़ने पर अनुपस्थिति के लिये क्षमा के लिये अप्राधिकृत अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण देते हुए आवेदन कर सकता है एवं उस अवधि के लिये अवकाश की मांग कर सकता है। यदि नियुक्तिकर्त्ता संतुष्ट होता है

कि अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिये पर्याप्त हेतुक अथवा न्यायसंगत कारण है तो नियुक्तिकर्त्ता अनुशासनहीनता के कर्त्तव्य को माफ कर सकता है एवं बाद में अवकाश भी स्वीकृत कर सकता है। यदि इस प्रकार अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं अप्राधिकृत अनुपस्थिति माफ की जाती है, तब नियुक्तिकर्त्ता उसके बाद उस दुराचार के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता है, यदि उसने अवकाश स्वीकृत करते समय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार को सुरक्षित नहीं रखा हो। हम यह कहते हैं कि जब अप्राधिकृत अनुपस्थिति कुछ ही दिन की या कुछ महीनों की हो एवं अनुपस्थिति का कारण अचानक अस्वस्थ्य होना या परिवार में कोई शोक होना हो तो अनुपस्थिति को माफ करने की प्रार्थना पक्ष में स्वीकृत की जा सकती है। लेकिन लंबी अप्राधिकृत अनुपस्थिति सामान्यतया माफ नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में, सुरक्षा सेवा में जहां अनुशासन सर्वोत्तम महत्वों का होता है, अवकाश से कुछ दिन अधिक रहना भी गंभीर रूप से देखा जाता है। जो जैसा हो सकता है, वैसा रहने दें।

10. जहां कर्मचारी जो अप्राधिकृत तरीके से अनुपस्थित रहता है एवं पदीय कर्तव्यों से नहीं जुड़ता है एवं कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं देता है या जहां कर्मचारी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, वह संतोषप्रद नहीं हो, वहां नियुक्तिकर्त्ता अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही का सहारा लेगा। इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही दण्ड अधिरोपित होने में भी तब्दील हो सकती है जिसमें दीर्घ दण्ड जैसे सेवा से बर्खास्त अथवा

हटाना एवं लघु दण्ड जैसे संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोकना भी हो सकते हैं। दण्ड का प्रभाव सेवा के प्रकार, कर्मचारी द्वारा किस पद पर कार्य किया जा रहा है, अनुपस्थिति की अवधि एवं अनुपस्थिति के लिये दिये गये स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगा। जहां दण्ड बर्खास्त अथवा हटाने का है, वहां यह आवश्यक नहीं है कि अप्राधिकृत अनुपस्थिति के प्रभावों के संबंध में आदेश पारित किया जायेगा। जहां अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिये दण्ड सेवा से पृथक् नहीं करता है एवं कर्मचारी सेवा में बनाये रहता है तब यह आवश्यक होगा कि यह आदेश पारित किया जाये कि अप्राधिकृत अनुपस्थिति किस प्रकार देखी जाये एवं सेवाभिलेख में किस प्रकार ली जाये। यदि अप्राधिकृत अनुपस्थिति की गणना नहीं की जाती है तो यह सेवा में विराम के रूप में होगी जिससे वरिष्ठता एवं पेंशन इत्यादि प्रभावित होंगे। ऐसा कोई भी परिणामस्वरूप आदेश जो यह कहता है कि अनुपस्थिति की अवधि की गणना किस प्रकार की जाये, यह एक गणितिय एवं प्रशासनिक प्रक्रिया है जो दण्ड अधिरोपित करने वाले आदेश को न ही तो प्रभावित करेगी एवं न ही उस पर अधिगामी होगी।

11. इस मामले में आदेश दिनांक 16-09-1999/11-10-1999 के तहत दण्ड अधिरोपित किया गया था। यह आदेश न ही तो रद्द किया गया एवं न ही वापस लिया गया एवं न ही आहरित किया गया। पश्चातवर्त्ती आदेश दिनांक 25-01-2001 ने केवल मात्र अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिये असाधारण अवकाश स्वीकृत किया था। लेकिन न ही तो अप्राधिकृत

अनुपस्थिति को माफ किया गया एवं न ही जो दण्ड अधिरोपित किया गया था उसे हटाया गया। उक्त आदेश केवल मात्र दण्ड अधिरोपित होने के परिणामस्वरूप था। इसका प्रभाव जवाबदेहिता की सेवा की निरंतरता को बरकरार रखना था। लेकिन अनुपस्थिति की अवधि में वेतन नहीं देना एवं उस अवधि को पेंशन देने की योग्यता में नहीं मानना था। इसका प्रभाव निःसंदेह यह नहीं था कि जवाबदेहिता को अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिये दोषमुक्त किया जाये अथवा दण्ड को हटाया जाये। यदि आदेश की मंशा दण्ड को रद्द करने की होती तो ऐसा आदेश दिनांक 25-01-2001 में स्पष्ट रूप से लिखा होता लेकिन ऐसा नहीं था।

12. नीचे के न्यायालयों का यह मानना कि जब अनुपस्थिति की अवधि के लिये असाधारण अवकाश को स्वीकृत करने का आदेश पारित कर लिया गया है तब इसका प्रभाव यह होगा कि वह दण्ड को मिटा देगा, गलत है एवं विधि की गंभीर भूल है। जब विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने गंभीर गलती की तब उच्च न्यायालय को विधि का उपर्युक्त प्रश्न बनाना था एवं द्वितीय अपील स्वीकार करनी थी। इसकी बजाय उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील को खारिज करना चुना एवं उच्च न्यायालय ने विधि की गलत व्याख्या पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगायी जिससे अनुशासन एवं प्रशासन के संबंध में गंभीर दुष्परिणाम हुए। नीचे के न्यायालयों के निर्णय को सम्मित देने का उच्च न्यायालय का निर्णय इस प्रकार हस्तक्षेप की पुकार कर रहा है।

13. इस प्रकार हम इस अपील को स्वीकार करते हैं एवं नीचे के न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करते हैं एवं जवाबदेहिता के वाद को खारिज करते हैं। पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जितेन्द्र कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।